

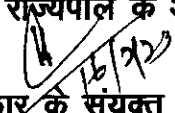
बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(चकबंदी निदेशालय)

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या-12/चक0-यो0-5-01/2021...219.../चक0, दिनांक 16-02-23

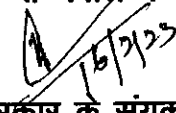
बिहार जोत समेकन एवं खण्डकरण निवारण अधिनियम 1956 (बिहार अधिनियम 22, 1956) की धारा 4(क) में अधिसूचित राजस्व ग्रामों की पूर्व में निर्गत अधिसूचना सं० 54 दिनांक 19.01.2018 को विलोपित करते हुए मौजा पननियाँ, थाना नं० 38, अंचल-गुरारु, जिला- गया में चकबंदी अधिनियम की धारा 3(1) के तहत आच्छादित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


सरकार के संयुक्त सचिव।

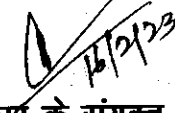
अधिसूचना संख्या-12/चक0-यो0-5-01/2021...219.../चक0, दिनांक 16-02-23
प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना (सी०डी० सहित)/अवर सचिव, गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (सी०डी० सहित) राजपत्र असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


सरकार के संयुक्त सचिव।

अधिसूचना संख्या-12/चक0-यो0-5-01/2021...219.../चक0, दिनांक 16-02-23
प्रतिलिपि -अपर समाहर्ता-सह-उप निदेशक, चकबंदी गया/अंचलाधिकारी-सह -चकबंदी पदाधिकारी, गुरारु (गया) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


सरकार के संयुक्त सचिव।